जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन–2, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष :+91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

पत्रांक : BRLPS/Proj-H&N/1159/17/1790 दिनांक : 20/8/2018

कार्यालय आदेश

(स्वच्छ जीविका – स्वच्छ बिहार)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के द्वारा कार्यालय आदेश संख्या – BRLPS/Proj-H&N/1159/17/1122, दिनांक – 05.07.18 के अंतर्गत **"स्वच्छ जीविका – स्वच्छ बिहार"** अभियान का क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किया गया था। इस अभियान के तहत सदस्यों द्वारा स्वयं से शौचालय का निर्माण एवं उसका उपयोग करने हेतु व्यापक पैमाने पर समुदाय को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। इस अभियान के तहत बिहार में अभी तक लगभग 13 लाख गड्ढ़े खोदे गए है और लगभग 5 लाख शौचालय का निर्माण कार्य भी पूर्ण किया जा चूका है। "स्वच्छ जीविका-स्वच्छ बिहार" के अभियान अवधि 1 जुलाई 2018 से 15 अगस्त 2018 के दौरान वृहत पैमाने पर समुदाय के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित किया.गया है एवं उन्हें शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित किया गया है। यह उचित होगा कि किये गए कार्य को आगे बढ़ाते हुए पूर्ण परिणति की ओर अग्रसर किया जाए।

इस अभियान को सफल बनाने हेतु वर्णित कार्यालय आदेश संख्या – BRLPS/Proj-H&N/1159/17/1122, दिनांक – 05.07.18 के सभी प्रावधानों को यथावत रखते हुये दिनांक 02 अक्टूबर 2018 तक विस्तारित किया जाता है।

अनुलग्नक - आदेश संख्या – BRLPS/Proj-H&N/1159/17/1122 संलग्न।

20/08/18

(बालामुरुगन डी0)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका
सह-मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

प्रतिलिपि :

1. सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक/ प्रशिक्षण अधिकारी/ विषयगत प्रबंधक/ जिला परियोजना प्रबंधक को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
3. सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
4. सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
5. सभी राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
6. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन–2, बेली रोड, पटना–800 021, दूरभाष :+91–612–250 4980, फैक्स : +91–612–250 4960, वेबसाइट : www.brlp.in

पत्रांक : BRLPS/Proj-H&N/1159/17/1122 दिनांक : 05.07.18

कार्यालय आदेश

(स्वच्छ जीविका – स्वच्छ बिहार)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा **"स्वच्छ जीविका – स्वच्छ बिहार"** कार्यक्रम का क्रियान्वयन 01 जुलाई-2018 से 15 अगस्त-2018 तक किया गया है। इस कार्यक्रम अवधि (45 दिनों) के दौरान व्यवहार परिवर्तन के साथ शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग पर बल दिया जायेगा।

इस अभियान में राज्य/जिला/प्रखंड के सभी जीविका कर्मी, यंग प्रोफेशनल, जीविका से जुड़े सभी सलाहकार, सहयोगी संस्थाओ के सभी कर्मी, कैडर, समूह के प्रतिनिधि एवं सदस्य सम्मिलित होकर अभियान के लक्ष्य प्राप्त करने में योगदान करेंगे।

अभियान के दौरान किये जाने वाले मुख्य कार्य -

1. **उन्मुखीकरण-सह-रणनीति निर्धारण कार्यशाला –**
   - **a.** जिला स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। जिसमे जिला और प्रखंड के सभी परियोजना कर्मी, यंग प्रोफेशनल, जीविका से जुड़े सभी सलाहकार और सहयोगी संस्थाओ के सभी कर्मी भाग लेंगे एवं कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण में जिले के लक्ष्य प्राप्ति हेतु रणनीति तैयार की जाएगी। कर्मियों की संख्या अधिक होने पर बैठकों की संख्या बढाई जा सकती है। इस बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर रणनीति तैयार किया जायेगा –
     - हेल्प डेस्क की स्थापना
     - सभी समूह और कैडरों को इस अभियान में शामिल कना
     - शौचालय विहीन घरों की सूची तैयार करना
     - उपयुक्त तकनीकयुक्त शौचालय का निर्माण
     - आवश्यक शौचालय निर्माण सामग्री की आंकलन एवं उपलब्धता
     - प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की सूची
     - IHHL आवेदन-पत्र का संग्रह, भौतिक सत्यापन और अभिप्रमाणिकरण
     - IHHL आवेदन-पत्र का IMIS इंट्री, Geo टैगिंग, प्रोत्साहन राशि का भुगतान
     - अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र इत्यादि
   - **b.** उपर्युक्त बैठक के उपरांत प्रत्येक संकुल में **सभी कैडर** के साथ एक दिवसीय कार्यशाला-सह-बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमे सम्बंधित सामुदायिक समन्वयक/क्षेत्रीय समन्वयक/प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं जिला परियोजना समन्वयक इकाई (DPCU) द्वारा नामित विषयगत प्रबंधक भी उपस्थित रहेंगे और उपर्युक्त निर्धारित बिंदुओं पर उन्मुखीकरण के साथ रणनीति भी तैयार की जायेगी।
   - ❖ **इस कार्य को 03 से 07 जुलाई-2018 तक अनिवार्य रूप से किया जाना है।**

2. **आम निकाय (RGB) की बैठक -**
   - **a. सभी संकुल संघ** के RGB की बैठक सम्बंधित सामुदायिक समन्वयक/क्षेत्रीय समन्वयक/कैडर के द्वारा आयोजित की जायेगी और इस बैठक में सभी सदस्यों का उन्मुखीकरण के साथ-साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी –
     - शौचालय विहीन दीदियों के घरो की सूची और पूर्व में निर्मित शौचालय का IHHL फॉर्म एवं IHHL फॉर्म जमा किये दीदियों की सूची
     - सभी शौचालय विहीन दीदियों के घरों में उपयुक्त तकनीकयुक्त शौचालय का निर्माण एवं उपयोग
     - IHHL आवेदन-पत्र का संग्रह, भौतिक सत्यापन और अभिप्रमाणिकरण
     - आवश्यक शौचालय निर्माण सामग्री की उपलब्धता
     - समस्याओं के समाधान एवं अन्य स्वच्छता के मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
   - **b.** अभियान अवधि में **CLF पाक्षिक बैठक** करेंगे और ग्राम संगठन वार शौचालय निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे एवं आगे की रणनीति तैयार की जाएगी।
   - **c. ग्राम संगठन** भी अपने RGB की बैठक आयोजित करेंगे और इस बैठक में शौचालय विहीन दीदियों के घरो में शौचालय निर्माण एवं उसकी प्रगति की समीक्षा तथा सभी सदस्यों को शौचालय उपयोग हेतु प्रेरित किया जायेगा। सम्बंधित

Scanned by CamScanner

सामुदायिक समन्वयक/क्षेत्रीय समन्वयक, सामुदायिक उत्प्रेरक या बुक कीपर के द्वारा अभियान अवधि में **ग्राम संगठन की बैठक साप्ताहिक** कर आगे की रणनीति तैयार की जायेगी।

d. **जीविका स्वयं सहायता समूह** की निर्धारित साप्ताहिक बैठक में अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा सदस्यों को स्वयं शौचालय निर्माण एवं उपयोग हेतु प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक बैठक में उपर्युक्त बिन्दुओं पर लिए गए निर्णय को सामुदायिक उत्प्रेरक/बुक कीपर के द्वारा लेखांकित और सतत फॉलो-अप किया जायेगा।

❖ **इस कार्य को जुलाई-2018 के प्रथम सप्ताह से शुरू किया जायेगा और अभियान के बाद भी नियमित रूप से जारी रखा जायेगा।**

3. **हेल्प डेस्क की स्थापना –**

a. **SPMU स्तर** पर एक हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, जो प्रतिदिन सभी जिलों से फॉलो-अप करेंगे और विहित प्रपत्र में आंकड़ो के साथ-साथ समस्याओं को रजिस्टर में संधारित करेंगे। जिलावार समस्याओं का निराकरण हेतु सम्बंधित राज्य स्तरीय मेंटर से सहयोग लेकर जिला को सूचित करेंगे।

b. **जिला स्तर** पर भी एक 3-4 सदस्यीय हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी, जिसमे सक्षम स्वछाग्रही/CRP/ सामुदायिक उत्प्रेरक को रखा जायेगा। इनके द्वारा प्रतिदिन निम्लिखित कार्य सम्पादित किये जायेगे –

- प्रखंडो से फॉलो-अप कर कार्य प्रगति की आंकड़ा एकत्रित करना
- समस्याओं का संधारण एवं निराकरण हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं हेल्प डेस्क से संपर्क करना
- प्रखंड वार गड्ढा खुदाई एवं निर्मित शौचालय की प्रगति को अधतन करना
- प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में जमा किये गए IHHL फॉर्म, Geo टैगिंग और प्रोत्साहन राशि भुगतान की अधतन स्थिति प्राप्त करना।
- प्रखंड वार अभियान अंतर्गत निर्धारित विभिन्न चरणों में किये जाने वाले कार्यों का फॉलो-अप इत्यादि।

c. **प्रखंड स्तर** पर एक हेल्प डेस्क गठित किया जायेगा, जिसमे सक्षम स्वछाग्रही/CRP/ सामुदायिक उत्प्रेरक को रखा जायेगा। प्रत्येक प्रखंड पर अधिकतम 3 सदस्य इस हेल्प डेस्क हेतु कार्य करेंगे। इनके द्वारा निम्र्लिखित कार्य सम्पादित किये जायेगे –

- कैडर से प्रतिदिन संपर्क कर कार्य प्रगति का आंकड़ा एकत्रित करना
- समस्याओं का संधारण एवं निराकरण के लिए जिला एवं प्रखंड से सम्बंधित पदाधिकारियों से सहयोग प्राप्त कर कैडर को सूचित करना
- BPIU में जमा किये गए IHHL फॉर्म का प्रत्येक VO वार संधारण करना
- गड्ढा खुदाई एवं निर्मित शौचालय की प्रगति को अधतन करना
- प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में जमा किये गए IHHL आवेदन-पत्रों की सूची
- IHHL आवेदन-पत्रों का IMIS इंट्री, Geo टैगिंग और प्रोत्साहन प्राप्त लाभार्थियों की सूची को अधतन करना
- अभियान अंतर्गत निर्धारित विभिन्न चरणों में किये जाने वाले कार्यों का फॉलो-अप इत्यादि।

d. **सभी स्तर पर गठित की जाने वाली हेल्प डेस्क के सदस्यों का मोबाइल नंबर SPMU के साथ साझा की जाएगी।**

❖ **इसको जुलाई-2018 के दुसरे सप्ताह से क्रियाशील कर लेना है।**

4. **ग्राम संगठन का खुले में शौच से मुक्त कार्ययोजना –**

a. सामुदायिक उत्प्रेरक अपने-अपने ग्राम संगठन से जुड़े सभी सदस्यों के घरो में शौचालय की स्थिति का आंकड़ा एकत्रित करेंगी और BPIU के साथ साझा भी करेंगी। **(अनुलग्रक – a प्रपत्र संलग्न)**

b. सामुदायिक उत्प्रेरक के द्वारा पूर्व में जमा किये गए IHHL फॉर्म जिनका की अभी तक भुगतान नहीं हुआ कि सूची तैयार करना और BPIU में जमा करना। BPIU द्वारा जमा किये गए IHHL फॉर्म का भुगतान हेतु फॉलो-अप सुनिश्चित करना।

❖ **इस कार्य को 8 जुलाई-2018 तक पूर्ण कर लेना है।**

5. **सतत व्यव्हार परिवर्तन हेतु गतिविधियाँ –**

a. **स्वच्छता एजेंडा –** इस अवधि में SHG, VO और CLF अपने प्रत्येक बैठक में **मुख्य रूप से स्वच्छता के मुद्दे** पर बात करेंगे जैसे – शौचालय विहीन दीदियों के घरों में शौचालय निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा एवं फॉलो-अप। शौचालय निर्माण की राह में यदि किसी समूह एवं सदस्य को समस्याएं (जैसे – तकनीकी जानकारी, सामग्री एवं प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की अनुपलब्धता, उपयोग इत्यादि) आती है तो VO उस समस्या का समाधान करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे। सामुदायिक उत्प्रेरकों के पास Sanitaion Flip Chart की उपलब्धता होने पर समूहों के बैठक में दीदीयों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा।

b. **VO और सामुदायिक उत्प्रेरक** के द्वारा राजमिस्त्रियों की सूची तैयार किया जायेगा और आवश्यकतानुसार उनका ऑन जॉब प्रशिक्षण भी जीविका कर्मी के द्वारा किया जायेगा।

c. **स्वच्छता विडियो प्रदर्शन –** सामुदायिक उत्प्रेरक पिको प्रोजेक्टर एवं मोबाइल के माध्यम से शौचालय तकनीक का विडियो का प्रदर्शन करेंगी और सदस्यों को शौचालय तकनीक एवं उसके फायदे के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देगी।

e. सामुदायिक उत्प्रेरक अपने सभी समूह में शौचालय तकनीक लीफलेट के माध्यम से दीदियों को शौचालय तकनीक के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। ग्राम संगठन एवं समूह के सदस्य गाँव में होने वाले शौचालय निर्माण के दौरान तकनिकी बिन्दुओं की निगरानी करेंगी ताकि उपयुक्त तकनिकयुक्त शौचालय का निर्माण किया जा सके।

Scanned by CamScanner

d. **अंतर-वैक्तिक संचार (IPC) –** सामुदायिक उत्प्रेरक और सक्रिय सदस्य घर-घर भ्रमण कर शौचालय निर्माण और उसका उपयोग पर चर्चा करेंगी। यदि शौचालय निर्माण में कोई बाधा है तो उसका समाधान भी करेंगी।

e. इस अभियान के दौरान जिन घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है उनके परिवार के सभी सदस्यों को शौचालय उपयोग हेतु प्रेरित करना। इसी तरह ODF घोषित SHG, VO, पंचायत और प्रखंड में भी शौचालय उपयोग हेतु निगरानी कमिटी के द्वारा फॉलो-अप किया जायेगा। उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु सतत व्यव्हार परिवर्तन के लिए विभिन्न IEC गतिविधियाँ इस अभियान के दौरान और उपरांत भी किया जायेगा, जिसके लिए अलग से दिशा-निर्देश निर्गत की जाएगी।

6. **शौचालय निर्माण –**

विदित है कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य व्यव्हार परिवर्तन को बढ़ावा देना है इसलिए सामुदायिक संगठनो और कैडरों के द्वारा शौचालय विहीन दीदियों के घरों में सतत व्यव्हार परिवर्तन गतिविधियों के माध्यम से शौचालय निर्माण एवं उपयोग हेतु प्रेरित करना। इसके लिए दीदियों को निम्नलिखित गतिविधियों हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा -

a. इस अभियान में निर्मित होने वाले शौचालय का नामकरण **"दीदी सम्मान"** के रूप किया जायेगा एवं इस सम्मान के प्रतीक के लिए शौचालय का रंग-रोगन भी किया जायेगा।

b. **गड्ढा खोदो अभियान** -

- यह प्रस्तावित है कि सभी प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन ईकाइयों के द्वारा सामुदायिक संगठनों एवं उससे जुड़े सदस्यों के माध्यम से **09 जुलाई-2018** को शौचालय निर्माण हेतु महत्वपूर्ण एवं व्यापक शुरुआती प्रयास किये जायेंगे। इसके तहत **गड्ढा खोदने** के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कार्यों जैसे -सामग्रियों और राजमिस्त्रियों की उपलब्धता आदि का रणनीति बनाकर कार्य किया जायेगा ताकि शौचालय निर्माण कार्य को गतिशीलता दी जा सके।
- **वर्षा होने की स्थिति में** गड्ढा खोदने के कार्य को आगामी दिनों में **14 जुलाई-18 तक** किया जायेगा एवं यह महत्वपूर्ण कार्य सभी दीदियों के घरों का पूर्ण आच्छादन होने तक किया जायेगा।
- 9 से 14 जुलाई-2018 के अभियान के दौरान खुदे गड्ढो का **21 से 28 जुलाई-2018 तक सब और सुपर स्ट्रक्चर के साथ शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण** किये जाने हेतु दीदियों को प्ररित किया जायेगा।
- 9 से 14 जुलाई-2018 के अभियान के अतिरिक्त आगामी दिनों में खुदे गड्ढो को **10 अगस्त-2018 तक सब और सुपर स्ट्रक्चर के साथ शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण** किये जाने हेतु दीदियों को प्ररित किया जायेगा।

7. **प्रोत्साहन राशि भुगतान की प्रक्रिया –**

a. सामुदायिक उत्प्रेरक द्वारा समूह अंतर्गत नव-निर्मित शौचालय का **IHHL फॉर्म फोटो सहित एवं आवश्यक दस्तावेज** संग्रह किया जायेगा। **(IHHL आवेदन-पत्र संलग्न – अनुलग्नक b)**

b. सम्बंधित सामुदायिक उत्प्रेरक द्वारा व्यक्तिगत निर्मित शौचालय का **भौतिक सत्यापन** कर आवेदन-पत्र को सत्यापित किया जायेगा।

c. सामुदायिक उत्प्रेरक द्वारा सत्यापित आवेदनो को सम्बंधित ग्राम संगठन (VO) के सदस्यों द्वारा **अभिप्रमाणित** कराकर विहित प्रपत्र में सम्बंधित सामुदायिक समन्वयक/क्षेत्रीय समन्वयक के माध्यम से प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई (BPIU) में प्रत्येक शुक्रवार को जमा किया जायेगा।

d. जहाँ पर ग्राम संगठन का गठन नहीं हुआ है, वहाँ नजदीक अवस्थित ग्राम संगठन के सदस्यों से आवेदन-पत्रों को अभिप्रमाणित कराया जायेगा। यदि नजदीक में ग्राम संगठन नहीं होने पर यह कार्य नोडल SHG के द्वारा किया जायेगा।

e. सामुदायिक उत्प्रेरक द्वारा शौचालय का किये गए भौतिक सत्यापन और ग्राम संगठन के द्वारा अभिप्रमाणित आवेदन-पत्रों को आगे की प्रक्रिया हेतु अंतिम सत्यापन माना जायेगा और सारे आवेदनो की ग्राम संगठन वार इंट्री मास्टर रजिस्टर में BPIU स्तर पर की जाएगी।

f. प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को प्रखंड परियोजना प्रबंधक सारे आवेदनो को **अनुमोदित पत्र** के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय को प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु समर्पित करेंगे।

g. प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा प्रत्येक सप्ताह लाभार्थी का बेसलाइन संख्या BPIU कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा; जिसके आधार पर BPM आवेदन-पत्र का Geo टैगिंग और प्रोत्साहन राशि भुगतान का ट्रैकिंग करेंगे।

h. प्रखंड विकास पदाधिकारी की जवाबदेही होगी कि सामुदायिक उत्प्रेरको द्वार सत्यापित और ग्राम संगठन के सदस्यों के द्वारा अभिप्रमाणित आवेदन-पत्रों से सम्बंधित लाभार्थियों के खाते में प्रोत्साहन राशि का हस्तांतरण की प्रक्रिया यथाशीघ्र सुनिश्चित करेंगे।

i. यदि कैडर के पास निर्धारित मापदंड का मोबाइल फोन की उपलब्धता होने पर BPM के द्वारा ऐसे कैडरों की सूची Geo tagger हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय को समर्पित करेंगे।

8. **पुरस्कार और सम्मान –**

इस अभियान में श्रेष्ट कार्य करने वाले सामुदायिक संगठनों, सदस्यों, कैडरों और कर्मियों को पुरस्कार और सम्मान स्वरुप प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा।

a. **जिला स्तर पर** पुरे जिला में श्रेष्ट कार्य करने वाले SHG, VO, कैडर, CC, AC, BPM, विषयगत प्रबंधक,यंग प्रोफेशनल, सलाहकार इत्यादि को प्रत्येक केटेगरी में से एक को पुरस्कृत किया जायेगा।

b. **राज्य स्तर पर** पुरे राज्य में श्रेष्ट कार्य करने वाले SHG, VO, कैडर, CC, AC, BPM, विषयगत प्रबंधक, यंग प्रोफेशनल, सलाहकार, DPM इत्यादि को प्रत्येक केटेगरी में से एक को पुरस्कृत किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

c. जो ग्राम संगठन अपने सदस्यों के घरों में शत-प्रतिशत शौचालय की सुविधा एवं उसका उपयोग सुनिश्चित करेंगे, वैसे ग्राम संगठन को पुरस्कार स्वरुप राशि रु. 3000/ देय होगा।

9. वित्तिय प्रावधान –

a. जिला स्तर पर सभी कर्मियों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण में प्रति प्रतिभागी अधिकतम 300/ की दर से राशि खर्च की जाएगी। जिसमे हॉल, प्रोजेक्टर, स्टेशनरी, भोजन इत्यादि सहित सभी खर्च किया जायेगा।
b. अभियान में कार्यरत सभी सामुदायिक उत्प्रेरक को स्वच्छाग्रही के रूप में नामित किया जायेगा और उनको शौचालय निर्माण के उपरांत प्रोत्साहन राशि 150/- प्रति शौचालय की दर से ग्राम संगठन के माध्यम से देय होगी। इस राशि में से 100/- सामुदायिक उत्प्रेरक की, 15/- संकुल संघ की और 35/- ग्राम संगठन की हिस्सेदारी होगी। जहाँ पर VO गठित नहीं है वहां पर यह राशि नोडल SHG बनाकर सामुदायिक उत्प्रेरक को हस्तांतरित किया जायेगा।
c. जिला एवं प्रखंड स्तर पर गठित हेल्प डेस्क के सदस्यों को प्रति सदस्य इस अवधि में सभी खर्च को सम्मिलित करते हुए CRP पालिसी के अनुसार दैनिक मानदेय राशि देय होगा।
d. इस अवधि में कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं अन्य आवश्यक कार्यो के लिए BPIU कुल 40 दिनों के लिए एक गाड़ी दैनिक भाड़े पर BRLPS द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रखा जायेगा। **SBM-G के IMIS पर घोषित ODF प्रखंडो यथा – थावे (गोपालगंज), भगवानपुर (कैमूर), रामपुर (कैमूर), चौथम (खगड़िया, असरगंज (मुंगेर), मुंगेर सदर (मुंगेर), मुरौल (मुजफ्फरपुर), राजगीर (नालंदा, पिपरासी (पश्चिम चम्पारण), राजपुर (रोहतास), संझौली (रोहतास), सुरजपुरा (रोहतास) और निर्मली (सुपौल) आदि प्रखंडो को छोड़कर यह वितीय प्रावधान लागु होगा**।
e. इस अवधि में प्रत्येक 5 से 10 प्रखंड हेतु DPCU में 2 गाड़ी तथा प्रत्येक अतिरिक्त 5 प्रखंड पर एक अतिरिक्त गाड़ी कुल 40 दिनों के लिए दैनिक भाड़े पर BRLPS द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार रखा जायेगा। वाहन का इस्तेमाल ज्यादातर क्षेत्र में आयोजित होने वाले सभी IEC गतिविधियों में भाग लेने हेतु किया जायेगा। **रोहतास, शेखपुरा, सीतामढ़ी और नालंदा** के लिए जिला स्तर पर केवल एक गाड़ी रखने का प्रावधान किया जाता है जिसका इस्तेमाल शौचालय उपयोग हेतु IEC गतिविधियों के लिए किया जायेगा।
f. BPIU को स्टेशनरी एवं अन्य खर्च के लिए कुल राशि रू.15000/- दी जाएगी। यह IHHL फॉर्म का प्रिंटिंग, रजिस्टर का क्रय और ODEP निर्माण का प्रपत्र इत्यादि पर BRLPS प्रावधानों के अनुसार जिला एवं प्रखंड स्तर से क्रय और भुगतान की जाएगी।
g. निरंतर खुले में शौच मुक्त की स्थिति बरकरार रखने वाले VO को पुरस्कार स्वरुप राशि रु. 3000/- का भुगतान SBM-G के IEC मद से देय होगा।
h. CLF द्वारा इस अवधि में अधिकतम पाक्षिक बैठक (पूरा दिन) का किया जायेगा और इस बैठक के दौरान आवश्यक व्यय भी किया जायेगा।
i. ये सभी खर्च **SBM-G के IEC** मद से देय होगा।

10. रिपोर्टिंग –

a. राज्य मुख्यालय से एक Google Doc एवं मोबाइल App बनाकर उसका link सभी BPM के साझा किया जायेगा और BPM प्रति सप्ताह शुक्रवार को इसमें प्रगति से सम्बंधित आंकड़ा प्रविष्ट करेंगे।

11. जीविका इंटरनल सपोर्ट टीम का सहयोग –

a. इस अभियान के दौरान जीविका इंटरनल सपोर्ट टीम का उद्देश्य छूटे हुए जीविका दीदियों के घरों में जिला एवं प्रखंड के कर्मी, कैडर एवं समूह सदस्य के सहयोग शौचालय निर्माण को सुनिश्चित कराना है ।
b. इस अवधि में मुख्य रूप से जिला स्तर पर निम्नलिखित कार्यों को ससमय करवाने हेतु सतत फॉलो-अप करेंगे –
   - **सभी कर्मियों का उन्मुखीकरण**
   - **संकुल स्तर पर सभी कैडर का उन्मुखीकरण**
   - **हेल्प डेश्क की स्थापना और क्रियाशीलता**
   - **शौचालय विहीन दीदियों की सूची**
   - **गड्ढा खोदो अभियान एवं शौचालय निर्माण**
   - शौचालय निर्माण के उपरांत **प्रोत्साहन राशि का भुगतान** में भी सहयोग
   - निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए **सतत फॉलो-अप एवं सहयोग** प्रदान करना इत्यादि।

12. DPCU के कर्मी और यंग प्रोफेशनल का कार्य एवं दायित्व –

a. जिला परियोजना प्रबंधक के द्वारा सभी जिला स्तरीय कर्मी और यंग प्रोफेशनल को इस अभियान में प्रखंड को सहयोग प्रदान करने के लिए मेंटर के रूप नामित किया जायेगा।
b. इस अवधि में इनके द्वारा निम्नलिखित कार्य में प्रखंड को रणनीति तैयार एवं सहयोग प्रदान करेंगे –
   - मुख्य रूप से गड्ढा खोदो अभियान में सहयोग
   - निर्माण सामग्रियों एवं राजमिस्त्रियों की उपलब्धता
   - IHHL फॉर्म एवं रजिस्टर की उपलब्धता

Scanned by CamScanner

- क्षेत्र में होने वाले सभी IEC गतिविधियों जैसे – फ्लेक्स, दिवार लेखन, होर्डिंग, स्वच्छता रथ, विज्ञापन, आलेखों का प्रकाशन, माइकिंग इत्यादि में सहयोग
- रिपोर्टिंग हेतु विकसित किये जाने वाले प्रपत्र, Apps, MIS के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना
- शौचालय निर्माण और निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग प्रदान करना एवं DWSC से समन्वय स्थापित करना।

13. BPIU का कार्य एवं दायित्व :-

a. BPM इस अवधि के दौरान CLF के बैठको में भाग लेंगे और प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ आगे की रणनीति बनाने में CLF को सहयोग करेंगे।

b. AC/CC कैडर के सभी उन्मुखीकरण एवं बैठक में भाग लेंगे और तय सीमा में छूटे हुए सदस्यों के घरो में शत-प्रतिशत शौचालय निर्माण एवं उसका उपयोग हेतु रणनीति का निर्माण एवं कैडर का कार्य योजना बनवाने में भी सहयोग करेंगे।

c. BPIU कर्मी क्षेत्र में आयोजित होने वाले IEC गतिविधियों में अपना सक्रीय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।

d. शौचालय निर्माण का अनुश्रवण करेंगे ताकि तकनीकयुक्त शौचालय का निर्माण हो सके।

e. Geo टैगिंग में आने वाले समस्याओं का निराकरण एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

f. सतत क्षेत्र भ्रमण एवं अनुश्रवण करना। जिस क्षेत्र में शौचालय निर्माण की प्रगति धीमी है, उस क्षेत्र में अधिक फील्ड विजिट करेंगे और सामुदायिक बैठक एवं घर-घर भ्रमण कर लोगो को शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित करेंगे।

g. IHHL फॉर्म का IMIS एंट्री, Geo टैगिंग एवं प्रोत्साहन राशि भुगतान ससमय सुनिश्चित करवाएंगे।

h. हेल्प डेस्क के कार्यो में आवश्यक सहयोग करेंगे।

अनुलग्नक – यथोपरी।

05/07/18

(बालामुरुगन डी0)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका
सह-मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

प्रतिलिपि :

1. सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक/ प्रशिक्षण अधिकारी/ विषयगत प्रबंधक/ जिला परियोजना प्रबंधक को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ प्रेषित।
3. सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
6. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

Scanned by CamScanner

अनुलग्नक –a

SHG का खुले में शौच मुक्त कार्ययोजना (ODEP) का प्रपत्र

SHG का नाम -			गाँव का नाम -		
क्रं. सं.	सदस्यों का नाम (घर के अनुसार)	पति का नाम	घर के मुखिया का नाम	शौचालय की स्थिति (हाँ या नहीं)	अभियुक्ति
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

नोट – IHHL की गणना घर के आधार पर की जाएगी।

SHG के OB मेम्बर का हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

VO का खुले में शौच मुक्त कार्ययोजना (ODEP) का प्रपत्र

VO का नाम :		गाँव का नाम :		वार्ड संख्या :
क्रं. सं.	समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	कितने सदस्यों के घर में शौचालय है -	कितने सदस्यों के घर में शौचालय नहीं है -
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

नोट – IHHL की गणना घर के आधार पर की जाएगी।

VOके OB मेम्बर का हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

अनुलग्नक -b

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

ग्रामीण विकास विभाग

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

शौचालय निर्माण के उपरांत लाभार्थी द्वारा दिया जाने वाला आवेदन पत्र सह निरीक्षण एवं सत्यापन प्रपत्र

आवेदन संख्या.................... दिनांक :

प्रखंड परियोजना प्रबंधकीय / क्रियान्वयन इकाई ....

1. लाभार्थी का नाम:	2. पिता / पति का नाम:
3. टोला:	4. गांव: पंचायत:
5. क्या परिवार का कोई सदस्य एस.एच.जी.समूह का सदस्य है – (हाँ या नहीं)	6. समूह का नाम -
7. लाभार्थी परिवार की श्रेणी (केवल APLलाभार्थियों के लिए): अ.ज.जा: ☐ अ.जा: ☐ महिला प्रधान परिवार: ☐ छोटे एवं मध्यम किसानः ☐ भूमिहीन मजदूर: ☐ शारीरिक रुप से विकलांग: ☐	8. ए.पी.एल (संख्या): बी.पी.एल (संख्या): ए.पी.एल / बी.पी.एल (संख्या) नहींहै ☐ बेसलाईन क्रम संख्या *(मुखिया / वार्डसदस्य / प्रखण्ड समन्वयक से संपर्क कर लिखें)* :
9. बैंक खाता संख्या: 10. बैंक का IFSC कोड बैंक का नाम: 11. बैंक शाखा का नाम:	12. मोबाईल संख्या: 13. शौचालय निर्माण की तिथि:

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती / करता हूँ कि मेरे परिवार के नाम पर पूर्व में किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि नहीं लिया है और न किसी सरकारी योजना के तहत मेरे परिवार के लिए शौचालय निर्माण किया गया है।

आवेदक का हस्ताक्षर / अंगूठा का निशान

(कार्यालय जाँच हेतु) : शौचालयजाँच की तिथि :					*लाभार्थी से प्राप्त तस्वीर विपकायें*
निर्मित शौचालय के घटक					
1. शौचालय का प्रकार ☐ सेप्टिक टैंक सोखता गढ्ढा के साथ ☐ कम्पोस्ट शौचालय ☐ दो गढ्ढे वाला लिचपीट शौचालय					
2. पैन का प्रकार:	रूरल पैन ☐		अरबन पैन ☐		
3. ईट का सुपरस्ट्रक्चर:	हाँ ☐		नहीं ☐		
4. छत:	प्रीकास्ट(RCC) ☐		एसबेसटस ☐		
5. दरवाजा:	हाँ ☐		नहीं ☐		
6. शौचालय में पानी भंडारण की तथा हाथ धोने की व्यवस्था:				हाँ ☐ नहीं ☐	
7. लिचपिट शौचालय के लिए Y जक्शन / जंक्शन चेम्बर:				हाँ ☐ नहीं ☐	

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान् / श्रीमती .... द्वारा निर्माण किये गये व्यक्तिगत शौचालय की जाँच की गयी तथा उक्त घटकों के साथ पूर्ण ☐/ अपूर्ण ☐ पाया गया।

संकुलसंघ / ग्रामसंगठन के प्रतिनिधि / वार्ड सदस्य संबद्ध कर्मी

सामुदायिक उत्प्रेरक (CM)/पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

ग्राम / वार्ड .... पंचायत...............................

आवेदन की तिथि: ☐ **सत्यापन की तिथि:** ☐ **भुगतान की तिथि:** ☐

नोट - लाभार्थी का आधार और बैंक पासबुक की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें। (दोनों एक ही व्यक्ति का)

पावती

आवेदन संख्या.................... **दिनांक ....**

श्रीमान् / श्रीमति.. द्वारा स्वयं व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण के लिए अनुरोध किया गया है।

स्कुल संघ / ग्रामसंगठन के प्रतिनिधि / वार्ड सदस्य नाम एवं हस्ताक्षर

संबद्ध कर्मी / पदाधिकारी का

ग्राम / वार्ड ....

पंचायत.......................

Scanned by CamScanner